

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

बनाम

1. मुख गिर वल्द मुल गिर जाति गुसाई साकिन रघुनाथपुरा
2. अधिशाषी अभियंता जल संशाधन खण्ड सूरतगढ़

किस्म मुकदमा- रेफरेन्स प्र0सं0- 223/2013 जीसीएमएस प्र0सं0- 2013/00539

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील मे जारी हए
05.11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 हाजिर। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा यह रेफरेन्स दि.21.02.2013 को पेश किया गया है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी मुख गिर के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पाया दिनांक 03.02.2003 को ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार यह रेफरेन्स मृतक के विरुद्ध पेश किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तथा शुरु से ही NULL AND VOID एवं शून्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थी के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया है।</p> <p>अतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ वापिस लौटाया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण मृतक के विरुद्ध पेश किया है, जो प्राकृतिक न्याय अनुसार शुरु से ही शून्य है। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ को अप्रार्थीगण के विधिक वारिसान की सूची, प्रकरण संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु वर्ष 2022 से लिखा जा रहा है, परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक वांछित सूचना/ संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में मृतक मूल आवंटि के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए, मूल आवंटन अभिलेख की प्रमाणित प्रति, आवंटन के समय तथा वर्तमान में रकबा पर कौन व किस हैसियत से काबिज है, की रिपोर्ट सहित तथा यदि रकबा जल संशाधन विभाग द्वारा अवाप्तशुदा/विभाग के लिए आरक्षित है तो जल संशाधन विभाग को भी पक्षकार बनाते हुए, अवाप्ती संबंधी/आरक्षण संबंधी अभिलेख सहित एवं रकबा के संबंध में वादों की बहुलता को रोकने हेतु रथगन प्रार्थना सहित अविलम्ब नियमानुसार वापिस इस न्यायालय में पेश करे। चूंकि प्रकरण राज्य हित से संबंधित है अतः पुनः रेफरेन्स पेश करने में होने वाले विलम्ब के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

कन्हैया लाल सोनगरा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

